UPSB010015862026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0) एक्ट, सोनभद्र
पीठासीनः गोविन्द मोहन (एच0जे0एस0),(जे0ओ0 कोड नं0–2687),
दाण्डिक प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या–138/2026

हीना **बनाम** अनीश यादव,
थाना– पन्नूगंज, जनपद सोनभद्र

–:आदेश पत्रकः–

10.07.2026 :–

आवेदिका हीना की ओर से विपक्षी अनीश यादव के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 आदेशार्थ पेश हुआ। पूर्व तिथि पर आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र पर सुना जा चुका है।

आवेदिका की ओर से विपक्षीगण के विरूद्ध संबंधित थाना को मुकदमा पंजीकृत कर विधि अनुरूप विवेचना के आदेश निर्गत किए जाने के आशय से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4)बी0एन0एस0एस0 इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि–" प्रार्थिनी अविवाहित अनुसूचित जाति धरकार महिला है। घटना लगभग 04 साल की है कि प्रार्थिनी के आस–पास अनीश यादव जिसका मो0नं0–8840077860 है, प्रार्थिनी को शादी का झांसा देकर अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी की करने की बाते कहते हुए प्रार्थिनी के घर बराबर आता–जाता रहा तथा शारीरिक सम्बन्ध बनाता रहा, तथा प्रार्थिनी को अनीश यादव द्वारा यह कहा जाने लगा कि तुम बहुत अच्छी हो, तुमसे शादी कर बतौर धर्मपत्नी अपने पास रखूंगा, मेरी शादी अभी नहीं हुई है, जिस पर प्रार्थिनी द्वारा कहा गया मैं अनुसूचित जाति की महिला हूँ शादी करने से इंकार किया, फिर भी उक्त अनीश यादव द्वारा तमाम प्रलोभन देकर प्रार्थिनी के साथ शारिरीक सम्बन्ध बनाने लगा और काफी नजदीकी बढ़ गयी, इसी दरम्यान प्रार्थिनी को बहला फुसलाकर प्रार्थिनी को अपने साथ रखकर शारीरिक सम्बन्ध बनाता रहा, प्रार्थिनी द्वारा शादी के लिए बराबर कहे जाने पर टाल–मटोल करता रहा, जब प्रार्थिनी दिनांक 04.01.2026 को समय लगभग 9.00 बजे जब शादी करने के लिए दबाव दिया और कहा पहले शादी करो तब हम लोग एक साथ रहेगें, इस बात से रंजिश होकर उक्त अनीश यादव ने कहा कि तुम नीच, धरकार जाति की हो, मैं यादव जाति का हूँ, तुम्हें अपनी पत्नी नहीं बना सकता, जैसे चल रहा है चलने दो, जब प्रार्थिनी शादी करने के लिए ज्यादा दबाव बनायी तो दिनांक–11.01.2026 ई० को शादी करने से इन्कार करते हुए प्रार्थिनी को मारने–पीटने लगा तथा इसकी शिकायत कहीं करने पर जान से मारकर फेंक देने की धमकी दिया। प्रार्थिनी उक्त घटना की सूचना सम्बन्धित थाना पन्नूगंज, जनपद–सोनभद्र को जन शिकायत प्रकोष्ठ में दिनांक–15.02.2026 को तथा पुनः दिनांक–27.02.2026 को दिया, जिस पर इलाका थाना की पुलिस उक्त अनीश यादव को बुलाई, काफी समझाई बुझाई, किन्तु पुलिस की बात वह नहीं माना, प्रार्थिनी थाने का चक्कर लगाती रही, किन्तु प्रार्थिनी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी और न ही मेडिकल–मुआयना कराया गया और न तो कोई कार्यवाही की गयी, तब प्रार्थिनी ने दिनांक 26.02.2026 को माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज करायी, फिर भी प्रार्थिनी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी और न तो कोई कार्यवाही की गयी, बल्कि इलाका थाना की पुलिस द्वारा मामले को लीपा–पोती करने की उद्देश्य से सुलह

Digitally signed by GOVIND MOHAN
Date: 2026.07.10 12:26:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court
Sonbhadra

करने का दबाव बनाने लगी, तब प्रार्थिनी मजबूर होकर घटना की लिखित सूचना पुलिस अधीक्षक जनपद–सोनभद्र को जरिये पंजीकृत डाक दिनांक–17.03.2026 को दिया, बावजूद इसके कोई कार्यवाही नहीं हुई। " पुलिस द्वारा कार्यवाही न करने पर यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

आवेदिका की ओर से प्रार्थना पत्र के समर्थन में पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सम्बोधित प्रार्थना पत्र की प्रति, जनसुनवाई में दिये गये सूचना की स्लिप, मा. मुख्यमंत्री को दिये गये प्रार्थना पत्र की प्रति, प्रभारी निरीक्षक थाना पड़री, मीरजापुर को प्रेषित पत्र की छायाप्रति,जाति प्रमाण पत्र व रंगीन–छायाचित्र दाखिल किये गये हैं।

प्रार्थना पत्र के प्रकाश में संबंधित थाना से आख्या आहूत की गयी। सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा विस्तृत आख्या प्रेषित की गयी है।

पत्रावली का अवलोकन किया।

आवेदिका की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के प्रकाश में सम्बन्धित थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार आवेदिका के प्रार्थना पत्र पर थाना स्थानीय पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

आवेदिका द्वारा प्रार्थना पत्र में विपक्षी पर मुख्यतः यह आक्षेप लगाया गया है कि विपक्षी आवेदिका को शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ कई बार शारीरिक सम्बन्ध स्थापित किया तथा जब आवेदिका द्वारा विपक्षी को शादी करने के लिए कहॉ तो विपक्षी द्वारा आवेदिका को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गालियॉ व जान से मारने की धमकी देते हुए मारा पीटा गया है। आवेदिका द्वारा जाति के सम्बन्ध में जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है तथा रंगीन छायाचित्र भी दाखिल है, जिसमें आवेदिका व विपक्षी को प्रदर्शित होना बताया गया है। प्रकरण अनुसूचित जाति की महिला के साथ शादी का प्रलोभन देकर दुराचार कारित किये जाने से सम्बन्धित है। प्रकरण में संज्ञेय अपराध के कारित होने का प्रकटन होता है, जिसकी विवेचना पुलिस द्वारा कराया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

तद्नुसार आवेदिका की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. स्वीकार किए जाने योग्य है।

–:आदेश:–

आवेदिका हीना की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. स्वीकार किया जाता है।

थानाध्यक्ष, थाना पन्नूगंज, जनपद सोनभद्र को आदेशित किया जाता है कि वह आवेदिका के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करा कर संबंधित पुलिस अधिकारी से मामले की विवेचना कराना सुनिश्चित करें तथा विवेचना के परिणाम से न्यायालय को अवगत करावें।

(गोविन्द मोहन)

दिनॉक–10.07.2026

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0) एक्ट,
सोनभद्र